न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ

निर्णय दिनांक 9.12.2019

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 10/2018

बिशनाराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1.अर्जनराम 2 उदाराम पुत्रगण पूर्णाराम जाति जाट निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 3.मोहनराम पुत्र पूर्णाराम जाति जाट निवासी पूनरासर हाल झंझूरोड़, कुम्हारों का बास, श्रीकोलायत जिला बीकानेर 4.मनफूल पुत्र बिशनाराम जाति जाट निवासी पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर 5 स्टेट जरिये तहसीलदार तहसीलदार श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—मुख्य प्रतिवादीगण—

6.रामी पुत्री पूर्णाराम पत्नि ज्ञानाराम जाति जाट निवासी करणसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू 7.धन्नी पुत्री पूर्णाराम पत्नि पदमाराम जाति जाट निवासी भादवा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर 8.रामकुवार पुत्र राधा (राधा पत्नी सांवताराम) जाति जाट निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 9 .विजयश्री पुत्री राधा (राधा पत्नी सांवताराम) पत्नी भूपराम जाति जाट निवासी बगीचा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर 10.विमला पुत्री राधा (राधा पत्नी सांवताराम) पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी जालवाली तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर 11.प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ।

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53,188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थित—

1. श्री नारायण पंवार अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. प्रतिवादीगणों के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही ।
3. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से ।

दावा अन्तर्गत धारा 53,188,183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद इस न्यायालय में बिशनाराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 45 तादादी 25 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 50 तादादी 28 बीघा 11 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 231 तादादी 72 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 3 कुल तादादी 126 बीघा 12 बिस्वा वाकेरोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी वादी के पिता पूर्णा वल्द काना के नाम से रही है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद उक्त खेतों की खातेदारी जरिये इन्तकाल संख्या 725 के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व वादी की माता लक्ष्मी के नाम से 1/5, 1/5 हिस्सा बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वादी की माता लक्ष्मी की मृत्युपरान्त उपरोक्त खेतों की खातेदारी जरिये इन्तकाल संख्या 1716 द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 32/35 हिस्सा की खातेदारी व प्रतिवादी संख्या 6,7 व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 की माता राधा के नाम 3/35 हिस्सा के रूप में खातेदारी दर्ज हो गई। कालान्तर में खसरा नम्बर 45 के नये खसरा नम्बर 54 तादादी 6.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 50 के नये खसरा नम्बर 58 तादादी 7.22 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 231 के नये खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर वाकेरोही पूनरासर कायम हो गये। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खसरान भूमि में वादी का 8/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 24/35 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का 2/35 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 की माता राधा के नाम 1/35 हिस्सा की खातेदारी दर्ज चली आ रही है परन्तु मौका पर प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 अपनी—अपनी ससुराल में रहती है व प्रतिवादी संख्या 8 अपने पिता के पास एवं प्रतिवादी संख्या 9 व 10 अपनी—अपनी ससुराल में राजी—खुशी रह रही है। वादगत खेतों में मौका पर वादी को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का 3/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है । वादगत खेतों का आपसी मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा किया हुआ है। आपसी मौखिक हिस्सा पांति व मौखिक बंटवारा के अनुसार वादी के हिस्से में खेत खसरा नम्बर 284

Scanned by CamScanner

तादादी 18.30 हैक्टेयर मे से उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। जिस पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग वादी का चला आ रहा है व वादी ने अपने हिस्से के खेत में ट्यूब वैल बना रखा है व विद्युत कनेक्सन भी अपने नाम से ले रखा था तथा सरकारी योजना के तहत इस खेत में एक बड़ा पानी का कुण्ड बनाया है, दो कमरे, चौकी बरामदा व एक चारा डालने हेतु सफा बना रखा है। वादी अपनी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 6.50 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 58 तादादी 7.22 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर रोही मौजा पूनरासर का विभाजन काविजानुसार व मौका स्थिति के अनुसार करवाना चाहता है। वादी का वादगत खेतों में मौंका पर 1/4 हिस्सा पर कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने अपने हिस्से के खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमिं में काफी सुधार कार्य करवाया है, टूवैल बनवाया है परन्तु वादगत खसरान भूमि का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को कई तरीके की कठिनाईयां आ रही है। वादी ने प्रतिवादीगण से वादगत खेतों का मौखिक विभाजन के अनुसार खातेदारी अलग–अलग करवाने बाबात माह दिसम्बर 2017 में निवेदन किया तो प्रतिवादीगण टाल मटोल प्रत्युतर देते रहे परन्तु वादगत भूमि का विभाजन विधिवत रूप से आज तक नहीं करवाया। इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का दावा प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादी संख्या 4 वादी का पुत्र है जो काफी झगड़ालू व जिद्दी प्रवृति का व्यक्ति है जिसने जोर जबरदस्ती वादी के हिस्से पांति में आये हुए खेत खसरा नम्बर 284 की उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमि मय ट्यूब वैल भूमि व मकानात आदि को वादी से छीन रखा है व खुद ने जबरन इस पूरे खेत पर कब्जा कर रखा है। वादी के तीन पुत्र संतान व पांच पुत्रियां है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 को काफी समझाया कि मेरे मरने के बाद उक्त खेतो की खातेदारी विरास्तान तुम्हारे नाम दर्ज हो जावेगी परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने कहा कि मैं अकेला ही इस खेत पर काबिज होऊंगा व मैं इस खेत में किसी को नही घुसने दूंगा। प्रतिवादी संख्या 4 वादी की किसी भी बात को नही मान रहा है व जबरदस्ती वादी के हिस्से पांति में आये खेत खसरा नम्बर 284 में उतरी तरफ की उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमि मय ट्यूब वैल व मकानात आदि पर कब्जा कर रखा है। वादी के उक्त खेत में बने ट्यूब वैल का कृषि विद्युत कनेक्सन भी विच्छेद करवा दिया था परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 ने गलत रूप से अपने आप ही टूयूग वैल पर विद्युत कनेक्सन जोड़ रखा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 4 को विद्युत कनेक्सन जोड़ने से मना किया तो प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी को धमकी दी कि इस खेत में बना टूयूब वैल व विद्युत कनेक्सन आपके नाम से रहा है इसलिए मैं विद्युत चोरी कर आपको फंसा दूंगा व खेत पर से कोई कब्जा नहीं छोडूगा, ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध बेदखली का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। वादी ने प्रतिवादीगण से दिंनाक 31.12.2017 को वादगत खेतों का विधिवत रूप से मौका स्थिति के अनुसार विभाजन के लिए प्रतिवादी संख्या 5 के कार्यालय में चलकर विभाजन करवा लेने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट इन्कार कर दिया और धमकी दी कि हम बिना विभाजन किए खेत को बेच देगे व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 284 में उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ने की धमकी देने से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादगत खेतों के सम्बन्ध चिरनिषेधाज्ञा की डिक्री हासिल करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है। प्रतिवादीगण द्वार वादगत खेतों का विधिवत रूप से व मौका की स्थिति के अनुसार खाता विभाजन कराने से इन्कार कर देने से व प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा वादगत खेत खसरा नम्बर 284 में उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर भूमि पर से कब्जा नहीं छोड़ने की धमकी दिंनाक 31.12.2017 को देने से वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादाधार हासिल है व वादगत खेतों में वादी के नाम 8/35 हिस्से की खातेदारी दर्ज होने से वाद हेतु प्राप्त है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्ड होल्डर है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है परन्तु कृषि भूमि के रिकार्ड का संधारण प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किया जाता है। उक्त दावा कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा प्राप्ति व बेदखली का है जिसमें प्रतिवादी संख्या 5 आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है तथा वादी ने वादगत खेतों में वर्णित अपने हिस्से को प्रतिवादी संख्या 11 के यहां रहन रख रखा है। इसलिए प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

संख्या 11 को आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। जिनके खिलाफ कोई विशेष अनुतोष नहीं चाहा गया है।

अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न आश्य की डिक्री आज्ञाप्त फरमाई जावेः–

कि वादगत खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर रोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है को मौखिक हिस्सा पांति व बंटवारा के अनुसार विभाजन किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तदनुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में अलग से तरमीम किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 5 को दिया जावे एवं अलग ही लगान कायम करवाया जावे।

कि खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर रोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में उतरी तरफ की 8.05 हैक्टेयर रोही पूनरासर मय ट्यूब वैल भूमि व उक्त खेत में बने आसरों से प्रतिवादी संख्या 4 को बेदखल करवाया जाकर कब्जा वादी को सुपुर्द करवाने हेतु बेदखली की डिक्री प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध जारी की जावे और उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 11 से करवाई जावे।

कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व 6 ता 10 चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 54 तादादी 6.50 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 58 तादादी 7.22 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर रोही मौजा पूनरासर को विधिवत रूप से व मौका स्थिति के अनुसार विभाजन करवाये बिना किसी को भी विक्रय, रहन, बैय, दीगर प्रकार से मुन्तकिल नहीं करें ना ही वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में बाधा पहुंचावे, ना ही वादी के हिस्से पांति में बने ट्यूब वैल, कुण्ड, मकानों आदि को क्षति पहुंचाये व ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरित असर पड़ता हो।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगणों के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । वादी वादगत खेतों का रिकार्डेड खातेदार है । वादगत भूमि अभी का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है ।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 284 तादादी 18.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 54 तादादी 6.5000 हैक्टयर, खसरा नम्बर 58 खसरा नम्बर 7.2200 हैक्टयर रोही पूनरासर तहसील श्रीडूंगरगढ में वादी का हिस्सा पृथक किया जाता है । रहन यथावत रहेगा । तहसीलदार श्री डूॅगरगढ मौके पर पहुंच कर वादी के कब्जे काश्त के अनुसार वादी प्रतिवादी के खेतों में आने जाने की सुविधा का ध्यान में रखते हुए विभाजन के नियम 18 से 21 का अनुसरण करते हुए विभाजन प्रस्ताव पेश करें । विभाजन में प्राप्त भूमि पर यदि प्रतिवादी संख्या 4 ने अतिक्रमण कर रखा हों तो उसे बेदखल किया जावें । प्राथमिक डिकी जारी हों ।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर न्यायालय की मुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया । पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूॅगरगढ

Scanned by CamScanner